

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-294/2024 दिनांक 19.10.2024)

दिनांक-19.10.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व पुरस्कार घोषित, गैंगेस्टर, जिलाबदर एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.10.2024 को विगत 24 घण्टे में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये कुल 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है इसी क्रम में पिछले 48 घण्टे में कुल 191 अभियुक्तों गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अन्तर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 57 पेटी देशी शराब मय दो अदद मोटर साइकिल (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 03 लाख रुपये) के साथ 03 अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री रोक-थाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरया सुजान व साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आज दिनांक 19.10.2024 को बाघाचौर व बिरवट कोनवलिया बंधा के पास से अभियुक्तगण मनोज यादव पुत्र काशीनाथ यादव साकिन बलेसरा टोला बाला हाथा थाना उचकागाँव जनपद गोपालगंज बिहार, 2. विशाल कुमार पुत्र परमानन्द शर्मा साकिन पिपराखास थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार, 3. दिलीप यादव पुत्र पन्नालाल यादव साकिन हरखौली थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार उनके निशान देही पर कुल 57 पेटी बंटी बबली देशी टेट्रा पैक शराब (कुल मात्रा 513 लीटर), घटना में प्रयुक्त दो अदद मोटर साइकिल, दो अदद मोबाइल एन्ड्राइड, जामातलाशी 3,300/- रुपये नगद बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-369/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि वे लोग नदी के किनारे झाड़ियों में अवैध शराब का भण्डारण करते हैं। मौका देखकर दो पहिया वाहनों से पकड़ण्टी के रास्ते बिहार राज्य में ले जाकर तस्करी कर धन अर्जित करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-369/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- मनोज यादव s/o काशीनाथ यादव साकिन बलेसरा टोला बाला हाथा थाना उचकागाँव जनपद गोपालगंज बिहार
2. अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र परमानन्द शर्मा साकिन पिपराखास थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार
3. अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र पन्नालाल यादव साकिन हरखौली थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार

अभियुक्त मनोज यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 0468/2022 धारा 379/411 भादवि थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0-369/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1- कुल 57 पेटी बंटी बबली देशी टेट्रा पैक प्रत्येक पेटी मे 45 पाउच प्रत्येक पाउच मे 200 एमएल (कुल मात्रा 513 लीटर) (कुल कीमत 1,50,000/ रुपये)
- 2- हीरो ग्लैमर लाल रंग BR28 C 4944 (कीमत लगभग 50,000/- रुपये)
3. होण्डा एसपी न्यू बिना नम्बर के चेचिस न0 ME4JC941GRD080444 (कुल कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये)
4. दो अदद मोबाइल एन्ड्राइड
5. जामातलाशी 3,300/- रुपये नगद

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजप्रकाश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत साइबर थाना जनपद कुशीनगर
2. व0 उ0नि0 श्यामलाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 शशांक शेखर राय थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 महिपाल चौहान थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
6. का0 रिषू यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
7. का0 श्रीकृष्ण मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

अन्तर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 50 पेटी अवैध देशी शराब मय एक अदद मोटरसाइकिल (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 02 लाख 25 हजार रुपये) के साथ 02 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में

अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के रोक-थाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.10.2024 को मुखबीर की सूचना पर बहदग्राम डुभा से तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों 1. सद्दाम पुत्र मंजूर आलम साकिन हरिहरपुर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर, 2. प्रमोद यादव पुत्र विक्रमा यादव साकिन हरखौली थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके निशान देही पर 50 पेटी बन्टी बबली देशी शराब, एक अदद मोटरसाइकिल रजि0 BR28 AD 62023, दो अदद मोबाइल फोन, 1,500/- रू0 नगद जामा तलाशी से बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि वे लोग गन्ने के खेत में अवैध शराब का भण्डारण करते हैं। मौका देखकर दो पहिया वाहनों से पकडण्डी के रास्ते बिहार राज्य में ले जाकर तस्करी कर धन अर्जित करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 311/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सद्दाम पुत्र मंजूर आलम साकिन हरिहरपुर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. प्रमोद यादव पुत्र विक्रमा यादव साकिन हरखौली थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी का विवरण-

- 1- 50 पेटी देशी शराब (कीमत लगभग 01 लाख 25 हजार रुपये)
- 2- एक अदद मोटरसाइकिल रजि0 BR28 AD 6202 (कीमत लगभग 01 लाख रुपये)
- 3- दो अदद मोबाइल फोन
- 4- 1,500/- रू0 नगद जामा तलाशी से

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 अमित कुमार शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 दिनेश कुमार साहनी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 राजकपूर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 अरसलान अहमद थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 कमलेश कुमार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
6. का0 कृपाशंकर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 38 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-38, व्यक्ति-117
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(75)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-113)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर